फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री इन्दरलाल बागोरा पिता शंकरलाल, निवासी 10, ग्लास फैक्ट्री, अरविन्द नगर, उदयपुर
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द
— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 41/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.10.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः भू.अ./सू.अ.अ./2019/1508—1509 दिनांक 11.10.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम सुन्दरचा में नहर बनने से मेरे पिताजी स्व. शंकरलाल पुत्र श्री खेमराज व मेरे काकाजी स्व. श्री अम्बालाल पुत्र श्री खेमराज, मन्नालाल पुत्र श्री खेमराज की संयुक्त भूमि नहर में अवाप्त हुई। जिसका मुआवजा राज्य सरकार ने 500/— रूपये तय किए थे। जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि मुआवजा दिया, तो किसे दिया गया, कि सूचना चाही गयी। उक्त सूचना का रेकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को पूर्व में सूचना इस कर्यालय द्वारा नहीं दी जा सकी तथा अब भी उक्त सूचना इस कार्यालय द्वारा नहीं दी जा सकी तथा अब भी उक्त सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना सम्भव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय राजसमन्द के रेकार्ड में उपलब्ध नही होने से दिया जाना संभव नही हैं। इस आशय से अपीलार्थी को तहसीलदार राजसमन्द द्वारा सूचित किया गया। लेकिन अपीलार्थी ने वांछित सूचना नही मिलने से व्यथित होकर यह अपील जरिये डाक प्रेषित की हैं।	

M

सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 के अनुसार अपीलार्थी को वो ही सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है जो कार्यालय के अभिलेख/रेकार्ड पर उपलब्ध हो। चुंकि उपरोक्त वांछित सूचना का रेकार्ड तहसील कार्यालय राजसमन्द में नही होने से उक्त अपील निर्बल होकर निस्तारणीय योग्य हैं।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)